

(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 14/2022-संघ राज्य कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 30 दिसंबर, 2022

सा.का.नि. (अ)- संघ राज्य माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 14), की धारा 7 की उप धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 4/2017-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 713 (अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रमांक 3क और उससे संबंधित प्रविष्टियों स्थान पर, निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“3क	33012400, 33012510, 33012520, 33012530, 33012540, 3301 25 90	खट्टे फलों के अलावा निम्नलिखित आवश्यक तेल, यथा:- क. पुदीना का (मेंथा पिपेरिता); ख. अन्य मिंट का: स्पीयर मिंट तेल (एक्स मेंथा स्पीकाटा), वाटर मिंट-तेल (एक्स मेंथा एक्वेटिक), हॉरसमिंट तेल (एक्स-मेंथा साइलवेस्ट्रीज), बीरगामेंट तेल (एक्स मेंथा सितरेट), मेंथा आरवेंसिस	कोई अपंजीकृत व्यक्ति	कोई पंजीकृत व्यक्ति” ।
-----	---	---	----------------------------	---------------------------

2. यह अधिसूचना 1 जनवरी, 2023 से लागू होगी ।

[फा सं सीबीआईसी - 190354/316/2022-टीआरयू सेक्शन - सी बी इ सी]

(विक्रम विजय वानेरे)
अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 4/2017-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, को सा.का.नि. 713(अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 10/2021-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 30 सितम्बर, 2021, जिसे सा.का.नि. 705(अ), दिनांक 30 सितम्बर, 2021, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।